

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	42.39	59079.87	59122.26	63.14	56031.85	56094.99	29.25	62953.77	62983.02	42.87	61484.81	61527.68	
पूँजी	25.46	1.30	26.76	36.86	1.20	38.06	36.86	5001.20	5038.06	77.13	1.20	78.33	
जोड़	67.85	59081.17	59149.02	100.00	56033.05	56133.05	66.11	67954.97	68021.08	120.00	61486.01	61606.01	
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	31.04	31.04	...	30.14	30.14	...	31.63	31.63	...	38.04	38.04
खाद्य, भंडारण और भांडागारण													
2. खाद्य सस्मिडी	2408	...	58442.73	58442.73	...	55578.18	55578.18	...	60599.53	60599.53	...	60572.98	60572.98
3. चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण पर सस्मिडी	2408	...	123.94	123.94	...	200.00	200.00	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00
4. चीनी के निर्यात लदान हेतु चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति	2408	...	285.00	285.00	...	200.00	200.00	...	150.00	150.00	...	50.00	50.00
5. सहकारी चीनी मिलों को नाबाई के जरिए ब्याज सहायता	2408	31.60	31.60	...	31.60	31.60	...	30.00	30.00
6. चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना 2007	2408	...	501.83	501.83	...	222.00	222.00	...	538.25	538.25	...	80.59	80.59
7. भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों के हैंडलिंग में कमी की प्रतिपूर्ति	2408	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
8. खाद्य तेलों के आयात से संबद्ध सस्मिडी	2408	...	198.13	198.13	...	11.79	11.79	...	917.88	917.88	...	366.42	366.42
9. चीनी उद्योग के विकास से संबद्ध अन्य व्यय	2408	...	9.84	9.84	...	27.26	27.26	...	26.88	26.88	...	28.30	28.30
10. चीनी विकास निधि													
10.01 को अंतरण	2408	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	1116.12	1116.12	...	400.00	400.00
10.02 से	2408	...	-795.60	-795.60	...	-556.76	-556.76	...	-590.64	-590.64	...	-175.31	-175.31
	6860	...	-875.00	-875.00	...	-935.00	-935.00	...	-935.00	-935.00	...	-550.00	-550.00
जोड़	-1670.60	-1670.60	...	-1491.76	-1491.76	...	-1525.64	-1525.64	...	-725.31	-725.31
कुल	-1420.60	-1420.60	...	-1241.76	-1241.76	...	-409.52	-409.52	...	-325.31	-325.31
11. खाद्य, भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	8.65	31.84	40.49	7.60	36.44	44.04	7.56	31.26	38.82	15.05	42.35	57.40
	4408	1.03	...	1.03	1.85	...	1.85	1.85	...	1.85	1.30	...	1.30
जोड़	9.68	31.84	41.52	9.45	36.44	45.89	9.41	31.26	40.67	16.35	42.35	58.70	
12. भारतीय खाद्य निगम के अर्थोपाय अग्रिम (एफसी आई)													
12.01 अर्थोपाय अग्रिम http://indiabudget.nic.in	6408	10000.00	10000.00	...	15000.00	15000.00	...	10000.00	10000.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
12.02 घटाइए अदायगियां	6408	-10000.00	-10000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-10000.00	-10000.00	
	<i>कुल</i>	
13. अधिप्राप्ति के लिए अल्पावधि ऋण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एफसीआई प्रचालन	6408	5000.00	5000.00	
जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण नागरिक आपूर्ति	9.68	58172.71	58182.39	9.45	55065.61	55075.06	9.41	66985.98	66995.39	16.35	60895.43	60911.78	
14. ग्रामीण अनाज बैंक	3456	17.23	...	17.23	15.30	...	15.30	12.12	...	12.12	9.00	...	9.00
15. खाद्यान्न प्रबंधन का विकास, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	3456	1.87	...	1.87	13.31	...	13.31	4.25	...	4.25	5.10	...	5.10
	3601	13.10	...	13.10	12.47	...	12.47	0.35	...	0.35	0.65	...	0.65
	3602	2.80	...	2.80	3.91	...	3.91	0.04	...	0.04	0.01	...	0.01
	<i>जोड़</i>	<i>17.77</i>	...	<i>17.77</i>	<i>29.69</i>	...	<i>29.69</i>	<i>4.64</i>	...	<i>4.64</i>	<i>5.76</i>	...	<i>5.76</i>
16. नागरिक आपूर्ति की अन्य स्कीमें	3456	...	1.12	1.12	...	1.07	1.07	...	1.13	1.13	...	1.31	1.31
17. खाद्य तेलों के व्यापार कार्य में एसटीसी के नुकसान की प्रतिपूर्ति	3456	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता उद्योग	35.00	1.12	36.12	44.99	1.08	46.07	16.76	1.14	17.90	14.76	1.32	16.08	
18. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	24.43	...	24.43	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	15.00	...	15.00
19. खाद्यान्न प्रबंधन में विकास अनुवीक्षण और अनुसंधान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	4408	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.89	...	0.89
20. उपभोक्ता उद्योग	2852	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
21. चीनी कारखानों का सुधार/ आधुनिकीकरण	6860	...	275.00	275.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	200.00	200.00
22. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	160.00	160.00	...	35.00	35.00	...	60.00	60.00	...	50.00	50.00
23. बगैस आधारित-सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	350.00	350.00	...	450.00	450.00	...	450.00	450.00	...	200.00	200.00
24. एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	90.00	90.00	...	150.00	150.00	...	125.00	125.00	...	100.00	100.00
जोड़-उपभोक्ता उद्योग	24.43	875.00	899.43	25.01	935.02	960.03	25.01	935.02	960.03	15.89	550.02	565.91	
25. हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स आयल कारपोरेशन को ऋण	6860	...	1.30	1.30	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20
26. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	10.55	...	10.55	4.93	...	4.93	13.06	...	13.06
	4552	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	59.94	...	59.94
	<i>जोड़</i>	<i>20.55</i>	...	<i>20.55</i>	<i>14.93</i>	...	<i>14.93</i>	<i>73.00</i>	...	<i>73.00</i>
27. वास्तविक वसूलियाँ	3601	-1.26	...	-1.26

<http://indiabudget.nic.in>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
कुल जोड़	67.85	59081.17	59149.02	100.00	56033.05	56133.05	66.11	67954.97	68021.08	120.00	61486.01	61606.01	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
18.01 भारतीय खाद्य निगम	12408	24.43	...	24.43	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	15.00	...	15.00
18.02 केंद्रीय भांडागारण निगम	12408	...	43.31	43.31	...	107.96	107.96	...	99.41	99.41	...	77.70	77.70
जोड़	24.43	43.31	67.74	25.00	107.96	132.96	25.00	99.41	124.41	15.00	77.70	92.70	
ग. योजना परिव्यय													
1. खाद्य, भंडारण तथा भांडागारण	12408	32.85	43.31	76.16	34.46	107.96	142.42	34.42	99.41	133.83	32.24	77.70	109.94
2. नागरिक आपूर्ति	13456	35.00	...	35.00	44.99	...	44.99	16.76	...	16.76	14.76	...	14.76
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	20.55	...	20.55	14.93	...	14.93	73.00	...	73.00
जोड़	67.85	43.31	111.16	100.00	107.96	207.96	66.11	99.41	165.52	120.00	77.70	197.70	

1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. खाद्य राजसहायता की मदें निम्न हैं:-

(क) भारतीय खाद्य निगम और अन्य को खाद्यान्नों के कारोबार पर राजसहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए दी जाती है (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं को देने हेतु उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, और (ii) बफर स्टॉक/ रणनीतिक रिजर्व को रखने की लागत।

(ख) इसी प्रकार कुछ राज्य सरकारों को भी राजसहायता का भुगतान किया जाता है, जो खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम और अन्य को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी का वितरण करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा वहन की गई लागत की प्रतिपूर्ति करने के बदले राजसहायता का भुगतान किया जाता है।

(घ) 1974-75 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्यों का पुनर्निर्धारण करने से बने दावों को तय करने के लिए देय राजसहायता।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड सुपुर्दगी लागू करने के संबंध में पायलट स्कीम का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों हेतु राजसहायता।

3. यह प्रावधान चीनी के सुरक्षित भंडार बनाए रखने के लिए चीनी कारखानों के बकाया दावों का निपटान करने के लिए है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है।

4. यह प्रावधान चीनी कारखानों को निर्यात शिपमेंट पर आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु बकाया दावों के भुगतान के लिए किया गया है। इसे चीनी विकास निधि से दिया जाना है।

5. यह प्रावधान चीनी मिलों के वित्तपोषण के सम्बन्ध में सहकारी और शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिए व्याज सहायता प्रदान करने के लिए है।

6. यह प्रावधान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को चीनी मिलों का वित्तपोषण करने के लिए चार वर्ष की अवधि जिसमें दो वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है, व्याज सहायता देने के लिए यह सहायता 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक सीमित है जिसमें से 5% बजट प्रावधान से तथा शेष 7% चीनी विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

(ड.) एमयू (टीओएम) अधिनियम, 1978 के अधीन अनुसूचित चीनी मिलों के लिए राजसहायता।
<http://indiabudget.nic.in>

7. यह प्रावधान आयातित उर्वरकों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम को कमियों के लिए राशियों की प्रतिपूर्ति हेतु है।
8. यह प्रावधान खाद्य तेल राजसहायता के भुगतान हेतु है, यह भुगतान 15 रुपए प्रति किग्रा की दर से राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्य तेल का आयात करने की योजना के तहत खाद्य तेलों का आयात करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को अदा की जाने वाली खाद्य तेल राजसहायता का भुगतान करने के लिए है।
9. यह व्यय एनसीडीसी और आईएफसीआई को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान भी शामिल है।
10. चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए 1 मार्च, 2008 से 24 रुपए प्रति क्विंटल चीनी उत्पादन उपकर लगाने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में एकत्रित उपकर में से इसकी एकत्रण लागत घटाकर बची राशि को चीनी विकास निधि में जमा कराने की व्यवस्था है जिसका उपयोग ऋण अनुदान देकर और चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य खर्च पूरे करके चीनी उद्योग के विकास और उससे संबंधित मामलों अथवा उससे संबंधित प्रासंगिक खर्च को पूरा करने के लिए किया जाना है। भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपर्युक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।
11. इसमें खाद्यान्नों की खरीद पर अवशिष्ट व्यय, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन, निर्देश और प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद/ अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद) और अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।
12. यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, वफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हेंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।
14. यह प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य राज्यों के लिए ग्रामीण अनाज बैंक योजना के कार्यान्वयन के लिए है। इसमें अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए 1.40 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
15. यह प्रावधान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) हेतु रखे गए खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन को रोकने, टी.पी.डी.एस. लाभभोगियों में जागरूकता लाने के लिए है।
16. यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता समिति के वेतन और अन्य शीर्षों के अंतर्गत होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु है।
17. यह प्रावधान राज्य व्यापार निगम को सरकारी खाते में आयातित खाद्य तेल के संबंध में उसे हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए है।
18. यह प्रावधान मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता कार्य, जो प्रगति पर है, को पूरा करने के लिए अपेक्षित मरिचकों को दर्शाता है।
<http://indiabudget.nic.in>

19. यह प्रावधान खाद्यान्न प्रबंधन हेतु एकीकृत सूचना प्रणाली के प्रचालन से संबंधित है जिसे भारतीय खाद्य निगम में स्थापित किया जा रहा है।
20. इसमें अमृतसर तेल कारखाना अधिनियम की धारा 14 के तहत भुगतान आयुक्त को अवशिष्ट भुगतान, यदि कोई हो, करने का प्रावधान शामिल है।
21. यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण देने के लिए है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।
22. यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।
23. यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु हैं और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।
24. यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने के लिए किया गया है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।
25. यह प्रावधान संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड को ऋण देने हेतु है।
26. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।